# आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020-21/1987 दिनांक 28/10/2020

समस्त प्राचार्य, जिला नोडल अधिकारी
राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय– ऑनलाईन छात्रवृति हेतु महाविद्यालय में संचालित कोर्स का रजिस्ट्रेशन एवं कोर्स मैपिंग http://scholarship.rajasthan.gov.in/ पर कराने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृतियों के ऑनलाईन आवेदन हेतु http://scholarship.rajasthan.gov.in/ निम्नानुसार शीघ्र कार्यवाही कर सूचित करावें जिससे कि विद्यार्थियों को छात्रवृति आवेदन पत्र भरते समय कोई व्यवधान नहीं हों।

1. वर्ष 2020–21 में खुले नये महाविद्यालयों का रजिस्ट्रेशन एवं महाविद्यालय में संचालित कोर्सेज को कोर्स मैपिंग करावे।
2. अपने महाविद्यालयों में नये संचालित कोर्सेज की सत्र 2020–21 के लिए मैपिंग करावें।
3. जिन महाविद्यालयों ने वर्ष 2019–20 में अपने महाविद्यालय में संचालित कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे इस वर्ष 2020–21 में आवश्यक रूप से रजिस्ट्रशन करावें। रजिस्ट्रेशन कराये बिना छात्रवृति हेतु ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
4. वर्तमान में महाविद्यालय में संचालित समस्त कोर्सेज/एफिलेशन का संबंधित विश्वविद्यालय से आवश्यक रूप से अनुमोदन (Approved) करावें तदुपरान्त ही विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा।

उपर्युक्त कार्यवाही में विलम्ब किया जाता है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित विश्वविद्यालय /महाविद्यालय का होगा।

(संदेश नायक)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020-21/1988-1990 दिनांक : 28/10/2020

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है–

1. समस्त रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय राज्य वित्तपोषित राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान, जयपुर
3. प्रभारी, वेबसाइट को अपलोड हेतु।

(एच. आर. पवार)
वित्तीय सलाहकार

d:\scholarship\online scholarship\online schlorship.docx